डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जनवरी 2001—माघ 4, शक 1922

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2001—4 माघ, 1922 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/छ. ग.-वि. स./1/2001.—यत: छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा में उस राज्य के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रामदयाल उइके का स्थान उनके त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप 26 दिसम्बर, 2000 से रिक्त हो गया है, और

2. यत:,इस प्रकार से उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है,

3. अत: अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 150, 30 और 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा—

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 26 फरवरी 2001 (सोमवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा में, उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से राज्य की किसी भी "अनुसूचित जनजाति" का एक व्यक्ति निर्वाचित करें,

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में,

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख 31 जनवरी, 2001 (बुधवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 1 फरवरी, 2001 (बृहस्पतिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की तारीख 3 फरवरी, 2001 (शनिवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा. — 19 फरवरी, 2001 (सोमवार)

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा. — 26 फरवरी, 2001 (सोमवार)

नियत करता है, और

(इ) 8.00 पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से,
सही/-
(एल. एच. फारूकी)
सचिव

New Delhi, dated 24th January 2001—4 Magha, 1922 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CG-LA/1/2001.—WHEREAS, the seat of Shri Ramdyal Uike in the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh, elected from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 26th December,2000 by reason of his resignation; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW THEREFORE, in pursuance of section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

(A) Calls upon the said 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency in the State of Chhattisgarh to elect, before 26th February, 2001 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the 'Scheduled Tribes' of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.

(B) Appoint with respect of the said electiobn :—

(a) the 31st January, 2001 (Wednesday) as the last date for making nominations;
(b) the 1st February, 2001 (Thursday) as the date for scrutiny of nominations;
(c) the 3rd February, 2001 (Saturday) as the last date for withdrawal of candidatures;
(d) the 19th February, 2001 (Monday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 26th February, 2001 (Monday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
Sd/-
(L. H. FARUQI)
SECRETARY

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2001—2 माघ, 1922 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ. ग.-वि.स./2001 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग इसके द्वारा आयोग की अधिसूचना सं. 100/छ. ग.-वि.स./1/2001 तारीख 24 जनवरी, 2001 के अनुसरण में 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए उप-कलेक्टर, बिलासपुर के उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को, उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है.

आदेश से,
सही/-
(एल. एच. फारूकी)
सचिव

New Delhi, Dated 22nd January 2001—2 Magha, 1922 (Saka)

NOTIFICATION

No.434/CG-LA/2001 (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby appoint Deputy Collector, Bilaspur, as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency in the State of Chhattisgarh in performance of the function of Returning Officer for the bye-election from the said Assembly Constituency to be held in pursuance of the Commission Notification No. 100/CG-LA/1/2001, dated 24th January, 2001.

By order,
Sd/-
(L. H. FARUQI)
SECRETARY

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2001—2 माघ, 1922 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ. ग.-वि.स./2001.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण मेंभारत निर्वाचन आयोग इसके द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से कलेक्टर, बिलासपुर को आयोग की अधिसूचना सं. 100/छ. ग.-वि. स./1/2001, तारीख 24 जनवरी, 2001 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है.

आदेश से,
सही/-
(एल. एच. फारूकी)
सचिव

New Delhi, Dated 22nd January 2001—2 Magha, 1922 (Saka)

NOTIFICATION

No.434/CG-LA/2001.—In Pursuance of provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby designates in consultation with the Government of Chhattisgarh, Collector, Bilaspur as the Returning Officer for 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency in the State of Chhattisgarh for the bye-election from the said Assembly Constituency to be held in pursuance of the Commission Notification No. 100/CG-LA/1/2001, dated 24th January, 2001

By order,
Sd/-
(L. H. FARUQI)
SECRETARY

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.